इलाहाबाद विश्वविद्यालय
छात्र परिषद् चुनाव संहिता संबंधी विनियम 2019

जबकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (तत्पश्चात् अधिनियम प्रयुक्त किया जाएगा) भारत सरकार द्वारा 11 जुलाई, 2005 को गजट में प्रकाशित कर दिया गया है तथा विश्वविद्यालय ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रुप में 14 जुलाई,2005 से कार्यारम्भ कर दिया है,

तथा जबकि कुलपति इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यादेश (Ordinance) विनिर्मित कर दिए गए, जो दिनांक 9 फरवरी, 2009 से प्रभावी हो गए हैं।

तथा जबकि विश्वविद्यालय अध्यादेश 67 में एक आम सभा अथवा विद्याार्थियों की एक प्रतिनिधि परिषद् का प्रावधान है।

तथा जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने छात्र परिषद्ों के चुनाव के दिशा निर्देश हेतु श्री जे0एम0 लिंगदोह के नेतृत्व में समिति बनाई थी जिसने अपनी रिपोर्ट दिनांक 23 मई, 2006 को प्रस्तुत कर दी है।

तथा जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 22 सितम्बर, 2006 में लिंगदोह समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है तथा इन्हें समस्त विश्वविद्यालयों में लागू करने का निर्देश दे दिया है।

एतैव माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र परिषद् के नये संविधान के प्रारुप को बनाना आवश्यक एवं उचित प्रतीत होता है। इसके विनियम (Regulations) निम्नांकित होंगें :

1. प्रारम्भण एवं प्रयोजनीयता

(i) यह विनियम इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र परिषद्(चुनाव संहिता) विनियम, 2019 अभिहित होगा।

(ii) यह विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा स्वीकृत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

(iii) यह विनियम छात्र परिषद्के चुनाव सम्बन्धी पूर्व में जारी अन्य किन्हीं भी विनियमों/संविधान/नियम को विलोपित कर देगा।

2. नामः

(क) इस परिषद का नाम अंग्रेजी में The University of Allahabad Students' Council तथा हिन्दी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र परिषद् होगा। (एतस्मिन् पश्चात् परिषद् प्रयुक्त किया गया है) छात्रहितों में प्रयुक्त किया जायेगा।

(ख) कार्यालय : छात्र परिषद् का कार्यालय सीनेट हाउस परिसर स्थित लाल पद्मधर भवन में होगा तथा इसका कार्यालयीय पता भी होगा।

(ग) उद्देश वाक्य : परिषद् के उद्देश्य वाक्य निम्न होंगें :

(i) तमसो मा ज्योतिर्गमय

(ii) सा विद्या या विमुक्तये

(iii) कोत रामी तात आरबोरस(Quot Rami Tot Arbores)

3. इस विनियम हेतु परिभाषाएं :

(i) ''छात्र परिषद्के .....'' नामक पदबंध में ही निम्न का प्रयोग किया जाएगाः संरक्षक, परामर्शदात्री समिति, सभापति, उपसभापति, पदाधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपसचिव, सांस्कृतिक सचिव, कार्यकारिणी सदस्य, स्थायी समिति।

(ii) कुलपति, अधिष्ठाता छात्र कल्याण (DSW), कुलानुशासक, संकायाध्यक्ष, '' इलाहाबाद विश्वविद्यालय के .....'' नामक पदबंध में ही होगा।

(iii) ''बजट'' का अर्थ संघ की कुल आय एवं व्यय है।

(iv) ''विद्यार्थी'' का अर्थ अध्यादेश (Ordinance) LXVII की धारा 1 (क) में दिए गए नियमित विद्यार्थी से है।

(v) ''निर्वाचन अधिकारी'' (Returning Officer) का तात्पर्य कुलपति द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु नियुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षक से है।

(vi) जो शब्द/पदबन्ध ऊपर नहीं बताए गए हैं वे विश्वविद्यालय के अधिनियम, परिनियम एवं अध्यादेशों में दिए गए अर्थों में प्रयुक्त होंगें।

4. उद्देश्य एवं लक्ष्य :

यह विश्वविद्यालय के अध्यादेश LXVII की धारा 2(क) के अनुसार होंगें तथा इस विनियम हेतु निम्न होंगे :

छात्र परिषद् छात्रों के जनतंत्र की संस्कृति एवं उसके अनुभव एवं सामाजिक सरोकारों के साथ रचनात्मक संवाद स्थापित करने का एक मंच होगा तथा इसके निम्नलिखित उद्देश्य होंगें–

(i) भारतीय संविधान के खण्ड 4(क) में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों के परिप्रेक्ष्य में छात्रों में देशभक्ति, सामाजिक चेतना, मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता , विस्तृत मानसिकता, हृदय की विशालता, सहयोग की भावना, अनुशासनप्रियता व आदर्श नागरिक आचरण का विकास करना।

(ii) संस्था के सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति हेतु अकादमिक एवं सामाजिक विषयों पर वाद–विवाद प्रतियोगिता, विचार गोष्ठी एवं व्याख्यानों का आयोजन।

(iii) विद्यार्थियों के शैक्षिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का उन्नयन।

5. संरक्षक (Patron) :

(i) इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति छात्र परिषद् के संरक्षक होंगे।

(ii) संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि छात्र परिषद् इन विनियमों का अक्षरशः पालन करे।

(iii) संरक्षक को यह अधिकार होगा कि आवश्यकता पड़ने पर स्थायी समिति के किसी भी निर्णय को पुनर्विचार के लिए उन्हें पुनः प्रेषित करे। यदि स्थायी समिति अपने पूर्व निर्णय को पुनः प्रस्तुत करती है तो ऐसी स्थिति में संरक्षक का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

(iv) संरक्षक को विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् को उपयुक्त कारण बताकर छात्र परिषद् का भंग करने का अधिकार होगा। तथापि छात्र परिषद्भंग करने के पूर्व यदि संरक्षक आवश्यक समझे तो परामर्शदात्री समिति से परामर्श की मॉग कर सकता है।

6. छात्र परिषद् की परामर्शदात्री समिति :

छात्र परिषद् की परामर्शदात्री समिति का गठन निम्नवत् होगा :

(क) सभापति (चेयरमैन) : संरक्षक द्वारा नामित विश्वविद्यालय का एक वरिष्ठ आचार्य सभापति होगा।

(ख) संरक्षक द्वारा प्रत्येक संकाय से एक शिक्षक नामांकित किया जाएगा।

नोट :

(i) संरक्षक परामर्शदात्री समिति से आवश्यकतानुसार सुझाव आमंत्रित कर सकते हैं।

(ii) परामर्शदात्री समिति छात्र परिषद्की चल–अचल सम्पति की अभिरक्षक होगी तथा छात्र परिषद् के बजट का सदुपयोग सुनिश्चित करेगी।

(iii) परामर्शदात्री समिति को इन प्रावधानों के अन्तर्गत छात्र परिषद्के पदाधिकारियों का उनके कर्तव्य निर्वहन हेतु आवश्यकतानुसार निर्देशित करने का अधिकार होगा।

(iv) परामर्शदात्री समिति का अध्यक्ष (चेयरमैन) छात्र परिषद्के खातों का रख–रखाव एवं संचालन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वित्तीय नियमों एवं छात्र परिषद् की स्थायी समिति के परामर्श से करेगा।

(v) छात्र परिषद् की स्थायी समिति द्वारा आहूत बैठकों में परामर्शदात्री समिति अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेगी।

(vi) परामर्शदात्री समिति का कार्यकाल छात्र परिषद् के कार्यकाल के साथ ही समाप्त हो जाएगा।

(vii) परामर्शदात्री समिति के सदस्यों को छात्र परिषद् में मताधिकार नहीं प्राप्त होंगें।

7. छात्र परिषद् के पदाधिकारी गण :

(1) छात्र परिषद् के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगें–

(i)अध्यक्ष (ii) उपाध्यक्ष (iiii) महामंत्री (iv) संयुक्त मंत्री (v) सांस्कृतिक सचिव,

(2) प्रत्येक संकाय से स्नातक पाठ्यक्रम के नियमित छात्र गुप्त मतदान के द्वारा गुप्त मतदान के द्वारा प्रत्येक पॉच यूनिट में से करेंगे। यूनिट का तात्पर्यः (क) कला संकाय (ख) विज्ञान संकाय (ग) विधि संकाय (घ) वाणिज्य संकाय (च) इन्स्टीच्यूट आफ प्रोफेसनल स्टडीज/ समस्त सेन्टर/ आई0आई0डी0एस0

(2.1) शोध छात्र प्रतिनिधिः प्रत्येक संकाय के शोध छात्र दो शोध छात्र प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे जिसमें एक पुरूष और महिला प्रतिनिधि होंगे।

(2.2) परास्नातक छात्र प्रतिनिधिगणः परास्नातक प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर के अध्ययनरत छात्र/छात्रायें दो परास्नातक प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगें (प्रतिनिधियों में एक पुरूष और एक महिला प्रतिनिधि प्रत्येक समेस्टर के होगें (प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर प्रत्येक संकाय से)

(2.3) स्नातक के छात्र प्रतिनिधिगणः पॉचों संकाय के स्नातक छात्र/छात्रायें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम समेंस्टर से दो प्रतितिनिधियों का चुनाव करेंगें जिसमें से एक पुरूष एवं एक महिला छात्र होंगे।

3. छात्र परिषद् के पदाधिकारियों का चयनः

सीधे चुने गये समस्त प्रतिनिधियों जैसे शोध छात्र/छात्रा, परास्नातक के छात्र/छात्रा और स्नातक के छात्र/छात्रा द्वारा पदाधिकारियों का चुनाव चुने गये प्रतिनिधियों में से ही किया जायेगा।

8. छात्र परिषद् की कार्य समिति :

छात्र परिषद् की कार्य समिति के सदस्य निम्नवत् होंगें :

(i) समस्त पदाधिकारी, कक्षा प्रतिनिधि तथा मनोनीत छात्र/छात्राएँ समेकित रूप में छात्र परिषद्की कार्य समिति का निर्माण करेंगें। समिति के प्रत्येक सदस्य मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।

(ii) केन्द्रीय सॉस्कृतिक समिति द्वारा एक सॉस्कृतिक प्रतिनिधि को नामित करेंगे।

(iii) सलाहकार समिति द्वारा नियमों के आधार पर तय किये गये स्पोर्टस बोर्ड द्वारा एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी।

(iv) कुलानुशासक बोर्ड द्वारा नामित एक अनुशासक एवं नैतिक प्रतिनिधि।

(v) विश्वविद्यालय के प्रत्येक संकाय से संकायाध्यक्ष द्वारा परास्नातक छात्रों की मेरिट के आधार पर नामित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय श्रेणी का एक–एक प्रतिनिधि।

(vi) विश्वविद्यालय के प्रत्येक संकाय से संकायाध्यक्ष द्वारा छात्रों की मेरिट के आधार पर शोध छात्रों में से नामित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक सुमदाय श्रेणी का एक–एक प्रतिनिधि।

(vii) विश्वविद्यालय के प्रत्येक संकाय से संकायाध्यक्ष द्वारा स्नातक स्तर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक सुमदाय श्रेणी का मेरिट के आधार पर नामित एक–एक प्रतिनिधि।

नोट :

(i) छात्र परिषद् कार्यसमिति के सभी पदाधिकारी, सदस्य, स्थायी समिति (Standing Committee) के प्रति उत्तरदायी होंगें तथा इन विनियमों के प्रावधानों का अक्षरशः पालन करेंगें।

(ii) छात्र परिषद् कार्यसमिति के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य छात्र परिषद् की गतिविधियों को सुचारु एवं क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने के लिए उत्तरदायी होंगें।

(iii) छात्र परिषद् कार्यसमिति के पदाधिकारी एवं सदस्यगध, अध्यक्ष, परामर्शदात्री समिति के समक्ष अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को प्रस्तुत करेंगें।

(iv) छात्र परिषद् की कार्यसमिति के लिये चुनें अथवा नामित किये गये प्रत्येक पदाधिकारी एवं सदस्यगण का कार्यकाल उस शैक्षणिक सत्र की 15 मई तिथि के साथ ही स्वतः समाप्त हो जाएगा।

(v) छात्र परिषद् कार्यसमिति के बैठक के लिये कोरम की न्यूनतम संख्या कुल चुने/नामित सदस्यों की संख्या का आधा होना चाहिये।

(vi) कार्य समिति के बैठकों का कार्यवृत्त छात्र परिषद् के अध्यक्ष, परामर्शदात्री समिति को भेजी जायेगी।

(vii) छात्र परिषद् कार्य समिति के पचास प्रतिशत उपस्थित सदस्यों में से तीन चौथाई सदस्यों द्वारा विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके छात्र परिषद् के किसी भी सदस्य को हटाया जा सकता है।

(viii) यदि किसी कारणवश छात्र परिषद् में कोई भी स्थान रिक्त रह जाता है तो अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य छात्र परिषद् की रिक्तता की स्थिति में भी रिक्त स्थानों की विभिन्न गतिविधियों को सुचारू रख सकते हैं।

9. पदाधिकारियों एवं कार्य समिति के सदस्यों के दायित्व :

(i) छात्र परिषद्के पदाधिकारी एवं सदस्य सामूहिक रुप से तथा छात्रों के साथ मिलकर छात्र परिषद्के विनियमों से निहित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करेंगें।

(ii) छात्र परिषद्अध्यक्ष पदाधिकारियों एवं कार्यसमिति के सदस्यों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। छात्र परिषद्के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु वह नियमित रुप से अपने कार्यालय में कम से कम चार बैठकें आहूत करेगा। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि यह बैठकें शान्तिपूर्ण व क्रमबद्ध तरीके से सम्पन्न हों तथा उनमें पारित प्रस्ताव संघ के सभापति (Chairman) तक समुचित रुप से प्रेषित किए जाए।

(iii) उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष के कर्तव्य निर्वहन में प्रदान किया जायेगा तथा उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रुप में कार्य करेगा।

(iv) महामंत्री छात्र परिषद्के पदाधिकारियों एवं कार्यसमिति के सदस्यों द्वारा आहूत बैठकों का सचिव होगा। वह अध्यक्ष के निर्देशानुसार बैठकों के सदस्यों को सूचना एवं कार्यसूची प्रेषित करेगा। वह बैठकों की कार्यवृत्त को तैयार करने एवं अभिलेखों को सुरक्षित रखने तथा उसकी देखभाल के लिए उत्तरदायी होगा।

(v) संयुक्त सचिव द्वारा महामंत्री के कर्तव्य निर्वहन में सहयोग प्रदान किया जाएगा तथा उसकी अनुपस्थिति में महामंत्री के रुप में कार्य करेगा।

(vi) सांस्कृतिक सचिव, सांस्कृतिक प्रतिनिधि, खेलकूद प्रतिनिधि, अनुशासक एवं नैतिक प्रतिनिधि तथा कार्यकारी समिति के सदस्य अपने उत्तरदायित्व को छात्र परिषद् के उद्देश्यों के अनुरुप छात्र परिषद् के अध्यक्ष एवं महासचिव के मतानुसार करेंगें।

(vii) संघ के पदाधिकारियों तथा कार्यकारी समिति के सदस्य ऐसे उन कर्तव्यों का भी निर्वहन करेंगें जो कि इस विनियम के अन्तर्गत उन्हें समय–समय पर निर्दिष्ट किए जाएं।

10. छात्र परिषद् की स्थायी समिति :

छात्र परिषद् की स्थायी समिति में निम्न सदस्य होंगें :

(क) छात्र परिषद् की परामर्शदात्री समिति

(ख) छात्र परिषद् के पदाधिकारी एवं कार्यसमिति के सदस्य

नोट :

(i) परामर्शदात्री समिति का अध्यक्ष, स्थायी समिति की बैठक का समन्वयक एवं अध्यक्ष होगा। वह बैठक की कार्यसूची तैयार करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि बैठक सुचारु रुप से चले तथा बैठक के निर्णयों को संरक्षक (Patron) को समुचित रुप से प्रेषित किया जाए।

(ii) छात्र परिषद् का अध्यक्ष स्थायी समिति की बैठक का सचिव होगा। वह समिति के बैठक के लिए सूचना एवं कार्यसूची छात्र परिषद्के सभापति (Chairman) के निर्देशानुसार प्रेषित करेगा। वह आहूत बैठक की कार्यवृत्त तैयार करने एवं अभिलेखों के रख–रखाव संबंधी उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगा।

(iii) छात्र परिषद् के सुचारु संचालन हेतु एवं दिन–प्रतिदिन की गतिविधियों हेतु समस्त वित्तीय निर्णय स्थायी समिति के परामर्श से लिए जाएंगें।

(iv) छात्र परिषद् स्थायी की समिति द्वारा लिए गए निर्णय परामर्शदात्री समिति, पदाधिकारियों एवं कार्यसमिति के सदस्यों पर बाध्यकारी होंगें।

(v) छात्र परिषद् की स्थायी समिति इन विनियमों में से उचित संशोधनों हेतु छात्र परिषद् के संरक्षक को समय–समय पर प्रस्ताव प्रेषित कर सकती है। संरक्षक आवश्यकता समझने पर उन प्रस्तावों को विश्वविद्यालय की विद्धत् परिषद और कार्यपरिषद् की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगें।

(vi) स्थायी समिति की बैठक वर्ष में कम से कम तीन बार होगी। स्थायी समिति की बैठक की गणपूर्ति एक तिहाई सदस्य होंगें।

(vii) छात्र परिषद् की स्थायी समिति के कम से कम आधे सदस्य मिलकर ही समिति के किसी भी पदाधिकारी तथा कार्य समिति के सदस्यों के विरुद्ध लिखित अविश्वास प्रस्ताव 15 दिवस की सूचना देकर ला सकते हैं। ऐसे किसी प्रस्ताव को प्रभावी बनाने हेतु सदस्यों के दो–तिहाई बहुमत द्वारा मतदान विधि से पारित किया जाएगा।

11. छात्र परिषद् चुनाव की राजनैतिक दलों से असम्बद्धताः

चुनाव की अवधि में छात्र परिषद्के प्रत्याशियों का किसी भी राजनैतिक दलों से सम्बद्धता एवं राजनैतिक हस्तक्षेप पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। साथ ही कोई भी ऐसा व्यक्ति जो विश्वविद्यालय का छात्र नहीं है अथवा जिसके पास कुलानुशासक द्वारा जारी वैध परिचय पत्र नहीं है, छात्र परिषद् चुनाव प्रक्रिया में किसी भी रुप में भाग नहीं ले सकेगा। जो भी अभ्यर्थी इस नियम का किसी भी रुप में उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी तथा आवश्यकतानुसार उसकी अभ्यर्थना (दावेदारी) भी रद्द कर दी जायेगी।

12. चुनाव प्रक्रिया की आवृत्ति एवं काल :

1. पूरी चुनाव प्रक्रिया, नामांकन तिथि से चुनाव परिणाम घोषणा की तिथि तक, जिसमें चुनाव प्रचार भी शामिल है, अधिकतम दस दिन होगी।
2. चुनाव सामान्यतः वार्षिक रुप से शैक्षणिक सत्रारम्भ के 6–8 सप्ताह के बीच सम्पन्न कराए जायेंगें।

13. प्रत्याशियों हेतु पात्रता मानदण्ड :

(i) वैध रुप से चुनाव हेतु अधिकतम आयु निम्नवत् होगी

पूर्व स्नातक विद्यार्थियों के लिए अधिकतम 22 वर्ष

(4 एवं 5– वर्षीय व्यावसायिक पाठयक्रमों में उपर्युक्त अधिकतम आयु सीमा को शिथिल करते हुए क्रमशः 23 व 24 वर्ष होगी तथा यह उपबन्ध किया जाता है कि एलएल0बी0 एवं बी0एड0 के छात्रों के लिए क्रमशः 25 वर्ष एवं 24 वर्ष तक होगी।)

परास्नातक विद्यार्थियों के लिए अधिकतम 25 वर्ष

यह उपबन्ध किया जाता है कि एलएल0एम0 के विद्याार्थियों के लिए यह अधिकतम 28 वर्ष तथा एम0टेक0 एवं एम0एड0 के लिए यह अधिकतम 26 वर्ष होगी।

शोघ छात्रों के लिए अधिकतम 30 वर्ष (प्रतिभागी ने शोध की न्यूनतम आवासीय अवधि पूरी न किया हो।)

(नोटः प्रत्याशी की आयु गणना हेतु नामांकन पर्चा दाखिल करने की निर्धारित तिथि ही सीमा तिथि मानी जायेगी।)

(ii) प्रत्याशी जिस वर्ष में चुनाव प्रत्याशी होगा उस वर्ष में न तो उसके पास कोई अकादमिक अवशेष हो तथा न ही वह विश्वविद्याालय की किसी परीक्षा में अनुतीर्ण हुआ हो।

(iii) प्रत्याशी की विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उपस्थिति अथवा 75% ,जो भी अधिक हो, रही हो।

(iv) प्रत्याशी को पद पर निर्वाचित होने हेतु एक अवसर उपलब्ध होगा तथा कार्यसमिति (Executive Committee) के सदस्य होने कि लिए दो अवसर प्राप्त होंगें।

(v) प्रत्याशियों की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होगी अर्थात उस पर आपराधिक विचारण (Trial) न चला हो तथा/अथवा किसी आपराधिक कार्य अथवा दुष्कृत्य के लिये दंडित न हुआ हो। विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही न की गयी हो, उसे विश्वविद्यालय से निष्कासित/निलंबित न किया गया हो और विश्वविद्यालय परीक्षा में उसे अनुचित साधन प्रयोग करने हेतु दण्डित न किया गया हो।

(vi) प्रत्याशी को एक विधायी , पूर्ण–कालिक अध्यादेश LXVII के खण्ड (Clause)-1 उपखण्ड क मे पारिभाषित पाठ्यक्रम (जो एक वर्ष से कम की समयावधि का न हो)का पूर्णकालिक विद्यार्थी होना चाहिये।

(vii) पदाधिकारी अथवा कक्षा प्रतिनिधि हेतु प्रत्याशी ने चुनावी वर्ष के पूर्व उत्तीर्ण परीक्षा में न्यूनतम् 55 प्रतिशत अंक या उसके समतुल्य औसत ग्रेड अंक (CGPA) अर्जित किये हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संवर्ग के छात्रों के लिये अर्हता 50 प्रतिशत या समतुल्य औसत ग्रेड अंक होगी।

14. चुनाव सम्बन्धी खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (Accountability)

(i) प्रति प्रत्याशी का चुनाव सम्बन्धी अधिकतम स्वीकार्य खर्च रु0 5000/– से अधिक नहीं होगा।

(ii) प्रत्येक प्रत्याशी परिणाम घोषणा के दो सप्ताह के अन्तर्गत विश्वविद्यालय को अपने खर्च के सम्पूर्ण विवरण की स्वतः प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करायेगा। विश्वविद्यालय इस खर्च को उचित माध्यमों द्वारा प्रकाशित कराएगा जिससे कि छात्र परिषद् का कोई भी सदस्य उक्त खर्च की जॉच स्वतंत्र रुप से कर सके।

(iii) प्रत्येक किसी भी प्रत्याशी का चुनाव नियमों की अवहेलना अथवा सीमा से अधिक खर्च करने की स्थिति में निरस्त कर दिया जाएगा।

(iv) प्रत्येक राजनैतिक दलों से धनराशि प्राप्ति को छात्र परिषद्में रोकने हेतु प्रत्याशियों पर यह विशेष रोक लगाई गयी है कि वे छात्र समुदाय से प्राप्त ऐच्छिक धनराशि के अतिरिक्त किसी अन्य स्रोत से धन प्राप्त नहीं करेंगें।

15. प्रत्याशियों एवं चुनाव प्रशासकों के लिए आचार संहिता :

(i) कोई भी प्रत्याशी ऐसी किसी भी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा तथा न ही ऐसी कोई दुष्प्रेरणा देगा जिससे आपसी मतभेद अथवा घृणा बढ़े अथवा विभिन्न जातियों और भाषायी अथवा धार्मिक समुदायों अथवा छात्र समूहों में तनाव उत्पन्न हो।

(ii) दूसरे प्रत्याशियों की आलोचना उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पिछले कार्यों तथा अभिलेखों तक ही सीमित रहेगी। प्रत्याशी निजी जीवन की आलोचना से बचेंगें। दूसरे प्रतयाशियों तथा उनके समर्थकों के निजी जीवन, जो सार्वजनिक कार्यालयों के इतर हैं, की आलोचना से बचेंगे। दूसरे प्रत्याशियों अथवा उनके समर्थकों के ऊपर झूठे लांछन या आरोप से बचा जाय।

(iii) वोट प्राप्त करने हेतु जाति अथवा साम्प्रदायिक भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाएगा। परिसर के अंदर अथवा बाहर स्थित पूजागृहों का उपयोग चुनावी प्रचार के लिए नहीं किया जायेगा।

(iv) मतदाताओं को घूस देना, मतदाताओं को डराना–धमकाना, फर्जी मतदान, मतदान केन्द्रों के आसपास एवं विश्वविद्यालय परिसर के अन्दर मतदान के 24 घण्टे पूर्व आम सभा करना तथा मतदान केन्द्र तक मतदाताओं को गाड़ी से लाने जैसे दृष्कृत्य, अपराध तथा भ्रष्ट गतिविधियॉ सभी प्रत्याशियों के लिए पूर्णतः वर्जित होंगी।

(v) किसी भी प्रत्याशी को छपे हुए पोस्टर, पैम्फलेट अथवा किसी भी प्रचार हेतु छपी हुई सामग्री के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। प्रत्याशी हस्तनिर्मित पोस्टरों का प्रचार हेतु उपयोग इस शर्त के साथ कर सकते हैं कि ऐसे हस्तनिर्मित पोस्टर ऊपर दिए गए खर्च की सीमा के अन्तर्गत हो।

(vi) प्रत्याशी हस्तनिर्मित पोस्टरों का प्रयोग विश्वविद्यालय में अधिकारियों द्वारा पूर्व निर्धारित स्थानों पर ही करेंगे।

(vii) किसी भी प्रत्याशी को विश्वविद्यालय के बाहर जुलूस निकालने, आम सभा करने अथवा प्रचार करने की और प्रचार सामग्री वितरित करने की अनुमति नहीं होगी।

(viii) कोई भी प्रत्याशी अथवा उसका समर्थक विश्वविद्यालय परिसर की किसी भी सम्पति से विश्वविद्यालय की बिना पूर्वानुमति के न तो छेड़–छाड़ करेगा न हीं उसे क्षति पहुॅचाएगा। विश्वविद्यालय की सम्पति की क्षति अथवा छेड़–छाड़ होने पर सभी प्रत्याशी सामूहिक रुप से जिम्मेदार माने जाएंगें।

(ix) चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के जुलूस निकालने, आमसभा करने की छूट होगी बशर्ते ऐसे जुलूसों और आम सभाओं से विश्वविद्यालय की कक्षाओं तथा सह–शिक्षण गतिविधियों में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। साथ ही ऐसे जुलूसों और आम सभाओं के लिए विश्वविद्याालय के सक्षम अधिकारी की लिखित पूर्वानुमति आवश्यक होगी।

(x) ध्वनि विस्तारक यंत्रों, गाड़ियों एवं पशुओं का प्रचार हेतु उपयोग वर्जित होगा।

(xi) निर्वाचन के दिन विद्यार्थी संगठन एवं सभी प्रत्याशी (क) चुनाव प्रक्रिया में लगे सभी अधिकारियों का सहयोग करेंगें जिससे चुनाव शान्तिपूर्ण एवं व्यवस्थित तरीके से सम्पन्न हो सके तथा निर्वाचक अपने मत का बिना किसी व्यवधान के अथवा बिना किसी विवाद के उपयोग कर सकें (ख) मतदान दिवस पर जल के अतिरिक्त कोई

भी ठोस अथवा तरल खाद्य पदार्थ न बॉटेंगें, न ही परोसेगें (ग) मतदान के दिन कोई प्रचार नहीं करेंगें।

(xii) निर्वाचको के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति बिना पास अथवा विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी के अनुमति पत्र के बिना मतदान केन्द्रों में प्रवेश नहीं करेंगें।

(xiii) कुलपति निष्पक्ष प्रेक्षक नियुक्त करेंगें। यदि प्रत्याशियों को मतदान प्रक्रिया में कोई कठिनाई है अथवा शिकायत है तो वह इसे प्रेक्षकों के सज्ञान में लाएंगें।

(xiv) मतदान समाप्ति के 48 घंटे के अंदर मतदान क्षेत्र की सफाई सभी प्रत्याशियों की सामूहिक जिम्मेदारी होगी।

(xv) उपर्युक्त किसी अनुशंसा का पालन न करने पर आवश्यकतानुसार प्रत्याशी का नामांकन निरस्त किया जा सकता है अथवा उसे निर्वाचित पद से पदच्युत किया जा सकता है। विश्वविद्यालय अधिकारी ऐसे किसी भी अवज्ञाकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकेंगें।

(xvi) उपर्युक्त आचार संहिता के साथ–साथ यह भी अनुशंसा की जाती है कि **भारतीय दंड संहिता, 1860 [धारा (153ए) और अध्याय (ix, ए) चुनाव संबंधी अपराध]** भी छात्र परिषद् चुनाव में लागू रहेंगें।

16. परिवाद निवारण प्रक्रिया :

(i) चुनाव प्रक्रिया संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु कुलपति द्वारा छात्र कल्याण अधिष्ठाता की अध्यक्षता में एक परिवाद निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया जायेगा। प्रकोष्ठ में एक वरिष्ठ अध्यापक, एक प्रशासनिक अधिकारी एवं दो अन्तिम वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थी (एक छात्र एवं एक छात्रा) मेरिट के आधार पर स्वयं/अथवा पूर्ववर्ती वर्ष में प्रदर्शित सहशैक्षणिक गतिविधियों में सहभागिता के आधार पर नामित होंगें। परिवाद निवारण प्रकोष्ठ का अधिदेश चुनाव संबंधी शिकायतों के निवारण तक मात्र सीमित न होकर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन एवं चुनावी खर्चों के विवरण से जुड़ी शिकायतों को भी आच्छादित करेगा। यह प्रकोष्ठ विश्वविद्यालय की नियमित इकाई के रुप में कार्य करेगा।

(ii) अपने दायित्वों के निर्वहन में परिवाद निवारण प्रकोष्ठ आचार संहिता के विभिन्न पहलुओं अथवा स्वयम् द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही हेतु अधिकृत होगा। प्रकोष्ठ (पनिप्र) को आरम्भिक अधिकारिता से जुड़े हुए अधिकार प्रदत्त होंगें। उन समस्त चुनावी वादों एवम् विवादों में जिस पर प्रकोष्ठ द्वारा अन्तिम निर्णय दिया गया हो, कुलपति अपीलीय अधिकारिता से युक्त होंगे एवम् वे विधि एवं तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होंगें। पुनरीक्षण के उपरान्त कुलपति प्रकोष्ठ द्वारा अधिरोपित (imposed) दण्ड को निष्प्रयोज्य अथवा संशोधित कर सकते हैं।

(iii) प्रकोष्ठ अपने दायित्वों के निर्वहन की प्रक्रिया में आवश्यक कार्यवाही एवं सुनवाई सुनिश्चित करेगा। इन दायित्वों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में प्रकोष्ठ को निम्न अधिकार प्राप्त होंगें :

(क) प्रत्याशी, एजेन्ट, कार्यकर्ता एवम् छात्र को साक्ष्य प्रस्तुत करने एवम् तत्सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुति हेतु सपीना/सम्मन (subpoena) रिट अर्थात् सम्मन जारी करना।

(ख) किसी प्रत्याशी द्वारा व्यय के विवरण की जॉच करने के उपरान्त उसे आवेदन पर सार्वजनिक जॉच (scrutiny) हेतु उपलब्ध कराना।

(iv) प्रकोष्ठ के सदस्य स्वयम् कोई शिकायत दर्ज नहीं कर सकेंगें। कोई भी छात्र प्रकोष्ठ के समक्ष चुनाव के परिणामों की घोषणा की तिथि से तीन सप्ताह के भीतर शिकायत पत्र प्रस्तुत कर सकेगा। समस्त शिकायतें शिकायतकर्ता के नाम के साथ ही दर्ज की जायेगीं। पनिप्र समस्त शिकायतों की प्राप्ति के उपरान्त 24 घण्टों के भीतर उनका संज्ञान लेते हुए या तो उन्हें निरस्त (dismiss) करेगा या सुनवाई के लिए तारीख निश्चित करेगा।

(v) प्रकोष्ठ किसी भी शिकायत को निम्न परिस्थितियों में ही निरस्त कर सकेगा :
(क) शिकायत का निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत पंजीकृत न होना।
(ख) ऐसी शिकायत जिसके लिए राहत की अभ्यर्थना की जा रही हो, परन्तु उसका वाद हेतु बताने में असमर्थ हो ; या
(ग) शिकायतकर्ता को न तो कोई क्षति हुई है एवम्/अथवा न ही भविष्य में नुकसान की संभावना हो।

(vi) शिकायत के निरस्त न होने की स्थिति में सुनवाई होनी चाहिए। प्रकोष्ठ द्वारा शिकायतकर्ता, समस्त संबंधित व्यक्तिगत पक्षकारों या समूह जिनके नाम वाद में उल्लिखित है, उन सभी को लिखित नोटिस या ई–मेल द्वारा सुनवाई हेतु निश्चित समय की सूचना दी जाएगी। पक्षकारों की अधिसूचित करने की कार्यवाही तभी पूरी मानी जाएगी, जब उन्हें शिकायत की एक प्रति अवश्य उपलब्ध करा दी जाए।

(vii) वादों की सुनवाई यथाशीध्र सम्पन्न कर ली जाएगी परन्तु उपर्युक्त अनुच्छेद(iv)में वर्णित नोटिस प्राप्त होने के 24 घण्टे के अवसान के बाद वाद निस्तारण की बाध्यता को समस्त पक्षकारों की सहमति पर शिथिल किया जा सकता है।

(viii) सुनवाई हेतु सूचना के निर्गत किए जाते समय पनिप्र द्वारा बहुसंख्या के आधार द्वारा यह निश्चित करने की स्थिति में इस प्रकार की कार्यवाही किसी भी व्यक्ति अथवा समूह के ऊपर अनावश्यक या प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, अंशकालिक निरोधात्मक आदेश पारित करेगा। कोई भी ऐसा निरोधात्मक आदेश पारित होने के उपरान्त सुनवाई के बाद दिए गए आदेश या स्वयं ही खारिज किए जाने तक प्रभावी रहेगा।

(ix) पनिप्र की समस्त सुनवाई, कार्यवाही एवं बैठकें सार्वजनिक रुप से की जाएगी।

(x) व्यथा विशेष से संबंधित सभी पक्षकार सुनवाई के समय पनिप्र के समक्ष उपस्थित होंगें। वे अपने साथ ऐसे किसी भी छात्र को लाने के लिए स्वतंत्र होंगे जिनसे वे परामर्श ले सकें अथवा वे उस छात्र को अपने प्रतिनिधि के रुप में भी भेज सकेंगें।

(xi) सुनवाई के समय पनिप्र के अध्यक्ष समेत प्रकोष्ठ के वर्तमान सदस्यों की बहुसंख्या में उपलब्ध होना आवश्यक होगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में प्रकोष्ठ का ही कोई एक सदस्य उनके द्वारा नामित होगा और पीठासीन अधिकारी के रुप में सुनवाई करेगा।

(xii) पनिप्र सुनवाई हेतु पांरुप तैयार करेगा और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करेगा कि शिकायतकर्ता एवं प्रत्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर वाद विषय (issues)के ऊपर आरोप, जवाब , खण्डन एवं प्रत्युत्तर के प्रस्तुतीकरण के दायरे में बहस होगी। सुनवाई का प्रयोजन चुनाव संबंधी वाद के संबंध में निर्णय लेने, आदेश पारित करने या व्यवस्था देने जिससे ऐसा विवाद सुलझाया जा सके। इस प्रयोजन को सम्पादित करने की दिशा में समस्त सुनवाई हेतु अधोलिखित नियम प्रभावी होंगे :

(क) प्रत्येक शिकायतकर्ता दो से अधिक साक्षी नहीं ला सकेगा। यद्यपि पनिप्र आवश्यकतानुसार अन्य साक्षीगणों को भी बुला सकेगा। साक्षी द्वारा व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होने में अक्षम होने की स्थिति में हस्ताक्षरित कथन अप्रत्यक्ष रुप से गवाही के रुप में कर सकेगा।

(ख) पक्षकारों के संबंधित समस्त प्रश्न एवं परिचर्चा पनिप्र को संदर्भित की जाएगी।

(ग) सुनवाई के दौरान किसी भी साक्षी या पक्षकार के विरुद्ध शिकायतकर्ता अथवा प्रतिपक्ष द्वारा कोई भी प्रत्यक्ष या जिरह (प्रतिपक्ष) के माध्यम से कार्यवाही नहीं करेगा।

(घ) पनिप्र द्वारा विवाद निपटाने हेतु युक्तिगत समय निर्धारित करेगा बशर्ते विवाद के पक्षकारों के प्रति उचित एवं समान बर्ताव करेगा।

(ङ) शिकायतकर्ता के ऊपर सबूत को सिद्ध करने का भार हो।

(च) पनिप्र द्वारा पारित निर्णय, आदेश अथवा व्यवस्था में बहुसंख्यक सदस्यों की सहमति होना आवश्यक होगा एवं सुनवाई के समापन के बाद उसे अविलम्ब घोषित कर दिया जाएगा। विनिर्णय की लिखित रुप से घोषणा विवाद के निपटान की प्रक्रिया के पूर्ण होने के 12 घण्टों के भीतर की जाएगी। पनिप्र द्वारा लिखित मत तथ्यों के अन्वेषण को आधार मानकर स्थापित किए जाएंगें। लिपिबद्ध किए गए निर्णय लगातार तीन वर्षों के चुनाव चक्र हेतु पनिप्र विनिर्णय के नजीर के रुप में स्थापित एवं प्रकोष्ठ की कार्यवाही का मार्गदर्शन करेंगें। पनिप्र द्वारा पूर्व में पारित निर्णयों को सम्यक् विचारोपरान्त नकारा जा सकता है परन्तु यह निषेध लिपिबद्ध कारणों को दर्शाते हुए किया जा सकेगा।

(छ) यदि पनिप्र द्वारा पारित आदेश को कुलपति के समक्ष चुनौती दी जाती है, प्रकोष्ठ को स्वयं पारित आदेश की प्रति परामर्श हेतु कुलपति द्वारा गठित उस आयोग/प्राधिकरण को उपलब्ध करानी होगी।

(ज) पनिप्र नियमों के उल्लंघन की प्रकृति एवं उग्रता के साथ–साथ उल्लंघनकर्ता की मनःस्थिति एवं नीयत को ध्यान में रखते हुए समाधान अथवा दण्ड – विधान का निर्धारण करेगा। उपलब्ध दण्ड–विधानों में अर्थदण्ड, चुनाव प्रचार के अधिकार का खारिज करना एवं चुनाव प्रक्रिया से बाहर करने के अतिरिक्त कतिपय अन्य दण्डों का निर्धारण किया जायेगा।

(झ) किसी भी प्रत्याशी के ऊपर कोई भी आर्थिक दण्ड लागू करने के पूर्व यह ध्यान रखा जाय कि यह राशि चुनाव खर्च के अधिकतम व्यय राशि से अधिक न हो जाए।

(ञ) यदि वाद की सुनवाई के उपरान्त पनिप्र इस निष्कर्ष पर पहुॅचता है कि इस आचार संहिता का किसी प्रत्याशी अथवा उसके एजेन्ट या कार्यकर्ताओं द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रकोष्ठ प्रत्याशी, उसके एजेन्ट अथवा उसके कार्यकर्ताओं को चुनाव प्रचार की समस्त या अवशिष्ट अवधि हेतु प्रतिबंधित कर सकेगा। चुनाव प्रचार की एक आंशिक अवधि हेतु प्रतिबन्ध लागू होने की आज्ञा तात्कालिक रुप से प्रभावी होगी एवं उसकी समाप्ति के उपरान्त प्रत्याशी को मतदान पूर्व की अवधि तक चुनाव प्रचार करने की छूट होगी।

(ट) सुनवाई के उपरान्त यदि प्रकोष्ठ इस निष्कर्ष पर पहुॅचता है कि किसी प्रत्याशी, उसके एजेण्ट या कार्यकर्ताओं द्वारा प्रकोष्ठ द्वारा पारित निर्णयों, आदेशों या व्यवस्थाओं की उपर्युक्त व्यक्तियों द्वारा जानबूझकर दुराग्रहपूर्वक और घोर रुप से उत्पातपूर्वक उल्लंघन किया गया है, ऐसी स्थिति में प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर सकेगा।

(ठ) पनिप्र द्वारा पारित आदेश से प्रतिकूल रुप से प्रभावित कोई भी पक्ष निर्णय घोषित होने के 24 घण्टों के भीतर कुलपति के समक्ष अपील दायर कर सकेगा। कुलपति को पनिप्र द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलीय अधिकार क्षेत्र प्राप्त होगा।

(ड) पनिप्र द्वारा पारित निर्णय पूर्ण रुप से तब तक प्रभावी रहेंगें जब तक कि कुलपति द्वारा अपील की सुनवाई के उपरान्त निर्णय न हो जाय।

(ढ) कुलपति द्वारा पनिप्र के निर्णय के विरुद्ध दायर अपील को अति शीघ्र निपटाने हेतु सुनवाई सुनिश्चित करेंगे परन्तु प्रकोष्ठ द्वारा अपने निर्णय के प्रति अपीलान्ट एवम् कुलपति को सौंपने के 24 घण्टे के बाद ही कार्यवाही शुरु करेंगे। इस समयावधि के पूर्व भी अपील पर सुनवाई की जा सकेगी, यदि अपीलान्ट द्वारा अपने विरुद्ध पारित निर्णय की प्रतिलिपि की मॉग पर दबाव न डाले अथवा कुलपति द्वारा इस रियायत के लिए अपनी मंजूरी प्रदान कर दें।

(ण) कुलपति अपील के निस्तारण पूर्व की प्रक्रिया अवधि में प्रकोष्ठ द्वारा पारित आदेश के क्रियान्वयन को स्थगित या रोकने हेतु उचित आदेश पारित कर सकेंगें।

(त) कुलपति दायर की गयी अपीलों की पुनर्वीक्षा (review) कर सकेंगें। कुलपति पुनरीक्षण पारित आदेशों को मंजूरी दे सकेंगे या आरोपित दण्ड को परिवर्तित कर सकेंगें।

17. चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून–व्यवस्था कायम रखना

नाजुक कानून–व्यवस्था की स्थिति या आपराधिक घटनाओं के घटित होने की स्थिति में विश्वविद्यालय प्रशासन अविलम्ब इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को देगा परन्तु किसी भी परिस्थिति में इसकी सूचना ऐसी वरदातों के घटित होने के 6 घण्टे के भीतर ही उपलब्ध करायी जाय।

18. अधिनियम की वयाख्या या सुझाव :

इस विनियम की व्याख्या स्वरुप दिए गए सुझाव/पृच्छा/टिप्पणी परामर्शदात्री समिति के सभापति को प्रस्तुत किये जा सकते है जिन्हें बारीकी से निरीक्षण के उपरान्त उनके द्वारा संरक्षक (कुलपति) को प्रेषित किया जा सकेगा। परामर्शदात्री समिति के सभापति आवश्यकतानुसार ऐसे मसलों पर यदि चाहें तो स्थायी समिति से परामर्श ले सकेंगें। संरक्षक का निर्णय इन समस्त मसलों के सन्दर्भ में अन्तिम होगा।

19. अधिकरण की नियुक्ति

संरक्षक, आवष्यकतानुसार ऐसे अधिकरण का गठन करेंगे जिसमें विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा एक या इससे अधिक सदस्य होंगें जिनका दायित्व विनियम में वर्णित ऐसे प्रावधानों की ब्याख्या करना होगा जो छात्र परिषद् के सुचारु रुप से संचालन हेतु जरुरी हों। अधिकरण का निर्णय इन समस्त मसलों के सन्दर्भ में अन्तिम होगा।

20. चुनाव अधिकारी एवं चुनाव प्रक्रिया :

(क) कुलपति द्वारा चुनाव अधिकारी की नियुक्ति विश्वविद्यालय के शिक्षक समूह से की जा सकेगी।

(ख) चुनाव पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कुलपति द्वारा चुनाव अधिकारी एवं छात्र परिषद् की परामर्शदात्री समिति के सभापति से परामर्श लेकर की जाएगी।

(ग) छात्र परिषद्के चुनाव परिणामों की घोषणा के उपरान्त चुनाव अधिकारी मतपत्रों को सील करके सभापति, परामर्शदात्री समिति को सौपेंगें और वे समस्त प्रपत्र चुनाव संबंधी किसी भी याचिका की कार्यवाही किसी भी सक्षम प्राधिकारी /प्राधिकरण या न्यायालय के समक्ष लंबित रहने की अवधि तक नष्ट नहीं किए जायेंगें।

(घ) कुलपति इस विनियमों के अनुपालन एवं चुनाव प्रक्रिया के समुचित संचालन हेतु शिक्षकों की एक ऐसी समिति का गठन करेंगे जिसका दायित्व छात्र परिषद्चुनाव की समय–सारिणी एवं प्रक्रिया संबंधी नियमो को सृजित करना होगा। समिति एक सप्ताह के भीतर समस्त विवरण कुलपति को सौंप देगी। चुनाव तिथि एवं समस्त चुनाव प्रक्रिया (नांमांकन, चुनाव प्रचार अवधि, मतदान, परिणामों की घोषणा इत्यादि) की घोषणा चुनाव अधिकारी द्वारा कुलपति की स्वीकृति के उपरान्त की जाऐगी।

(ङ) विश्वविद्यालय के प्रत्येक महाविद्यालयों में इन विनियमों के अनुपालन स्वरुप पृथक छात्र परिषद् होगा।

अस्वीकरणः	**हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करणों में असंगतता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।**

************समाप्त************